न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/ 2020
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020/00052

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री प्रकाश पिता रावजी जाति भील निवासी रघावा, तहसील व जिला बांसवाड़ा।	बनाम	श्रीसरकार जरिये तहसीलदार बॉसवाडा

उपस्थित

श्री शाहबाज खॉ, एडवोकेट श्री अजीत सिंह चौहान, एडवोकेट श्री अब्दुल अजीज खान एड्वोकेट	श्री भुपेन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 5/2020 उनवानी श्रीसरकार बनाम प्रकाश में धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 03.09.2020 को अपीलांट का रद्दे का मकान एवं बाथरुम ध्वस्त करने एवं 50 गुना शास्ति आरोपित किये जाने आदेश के विरुद्ध अपील –

दिनांक :– 04.01.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्री प्रकाश पिता रावजी जाति भील निवासी रघावा के विरुद्ध भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी पटवार हल्का तेजपुर द्वारा रिपोर्ट कर ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 45X43 फिट भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर कच्चा मकान एवं 07X05 फिट पर अवैध बाथरुम निर्माण किया। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से अवैध निर्माण ध्वस्त करने एवं मौके पर से अतिक्रमी को बेदखल करने करने एवं शरह लगान 1.50 रु. का 50 गुना 75/– वसूल करने आदेश दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:20:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने प्रस्तुत अपील में उल्लेख किया है कि तहसीलदार साहब द्वारा अपीलांट के रददा वाले भवन को ध्वस्त करने एवं 50 गुना शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित करने में विधि की त्रुटि की है। अपीलांट कई वर्षो पूर्व झोपडा बनाकर रह रहा है उक्त झोपडे के अतिरिक्त अपीलांट का कोई निवास स्थल आवास नही है। अपीलांट भूमिहीन कृषक है तथा नरेगा श्रमिक के रुप में मजदुरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा जिस सर्वे नंबर से बेदखल करने का आदेश दिया है वह सर्वे नंबर कृषि योग्य भूमि नही है। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा अपीलांट के भूमिहीन होने बाबत् कोई जॉच नही करवाई एवं न ही अपीलांट द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण किया।

प्रस्तुत अपील के साथ ही तहसीलदार, बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 03–09–2020 की क्रियान्विति पर ताअपील निर्णय स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को समन जारी किया गया ।

दिनांक 13.10.2020 को तहसीलदार बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 03.09.2020 की क्रियान्विति पर ताअपील निर्णय स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र पर सुना गया। स्थगन के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण स्पष्ट नही होने के कारण तहसीलदार, बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 03–09–2020 की क्रियान्विति पर ताअपील निर्णय स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये गयें।

तहसीलदार बॉसवाडा से मूल पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 5/2020 धारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में प्रस्तुत दस्तावेजो का पूर्ण विवेचन एवं दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 45X43 फिट भूमि पर अवैध रुप से निर्मित कच्चा मकान एवं 07X05 फिट पर बाथरुम का अवैध निर्माण ध्वस्त करने एवं मौके पर से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं शरह लगान 1.50 रु. का 50 गुना शास्ति रु. 75/– वसूल करने आदेश दिये गये है।

दिनांक 04.01.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार साहब द्वारा अपीलांट के रददा वाले भवन को ध्वस्त करने एवं 50 गुना शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित करने में विधि की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:20:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

त्रुटि की है। अपीलांट कई वर्षो पूर्व झोपडा बनाकर रह रहा है उक्त झोपडे के अतिरिक्त अपीलांट का कोई निवास स्थल आवास नही है। अपीलांट भूमिहीन कृषक है तथा नरेगा श्रमिक के रुप में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। यदि रददे वाला झोपडा ध्वस्त किया गया तो अपीलांट अपने परिवार सहित बेघर हो जाएगा। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा जिस सर्वे नंबर से बेदखल करने का आदेश दिया है वह सर्वे नंबर कृषि योग्य भूमि नही है। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा अपीलांट के भूमिहीन होने बाबत् कोई जॉच नही करवाई एवं न ही अपीलांट द्वारा की गई आपत्तियों का निरतारण किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है कि कोई अतिक्रमी भूमिहीन है तो उसे बेदखल नही किया जाये। उक्त निर्णय अनुसार तहसीलदार बॉसवाडा का आदेश अवैध होकर अपास्त योग्य है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन में बताया कि भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी पटवार हल्का तेजपुर की रिपोर्ट के आधार पर एवं अतिक्रमण की पुष्टि होने पर नियमानुसार प्रकरण सं. 5/2020 धारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में प्रस्तुत दस्तावेजो का पूर्ण विवेचन एवं दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 03.09.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 45X43 फिट भूमि पर अवैध रुप से निर्मित कच्चा मकान एवं 07X05 फिट पर बाथरुम का अवैध निर्माण ध्वस्त करने एवं मौके पर से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं शरह लगान 1.50 रु. का 50 गुना शास्ति रु. 75/– वसूल करने आदेश दिये गये है।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट श्री प्रकाश पिता रावजी जाति भील निवासी रघावा के विरुद्ध भू अभिलेख निरीक्षक तेजपुर एवं पटवारी पटवार हल्का तेजपुर द्वारा रिपोर्ट कर ग्राम रघावा की आराजी नंबर 1520 शा.नं. 100/71, 100/73 रकबा 22.03 बिघा मे से 45X43 फिट भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर कच्चा मकान एवं 07X05 फिट पर बाथरुम का अवैध निर्माण किया । राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक तेजपुर पटवारी हल्का तेजपुर की जॉच, मौतबिरानो के रुबरु तैयार किया गया मौका पर्चा दिनांक 22.02.2020 के आधार पर तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रकरण दर्ज कर दोना पक्षो को विधि सम्मत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:20:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

सुनते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03–09–2020 पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2020 निर्णय दिनांक 03–09–2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.13 11:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner